

**फर्द अहकाम**

(नियम 26)

अज अदालत... सहायक कलेक्टर (S.D.O.) गुलाबपुरा ..... मुकाम.....

उदाध/ डिशाना उर्फ सुखदेव बनाम मोहनध/ उदा बेरवा

किस्म मुकदमा..... नं. 2437/ ..... सन्. 2017

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
---------------	-----------------------------------	--

18/5/2018

पत्रावली आज लोक अदालत कैम्प कोर्ट टोकरवाड पर पेश हुई। वादी उदा, प्रतिवादी मोहन व सुखदेव बैरवा उपस्थित हुये। वादी के द्वारा चाही गई रिलिफ पृथक से तहसीलदार हुरडा के द्वारा मृतक छातेदार गंगाराम के विधिक वारिसान के नाम नामान्तकरण स्वीकृत कर दी जा चुकी है। ऐसी स्थिति में उपस्थित वादी के द्वारा प्रकरण को विद्धो कर लेने से इस प्रकरण की कार्यवाही समाप्त की जाती है। पत्रावली शुमार फैसल होकर दाखिल दफ्तर करे। आदेश आज दिनांक 18/5/2018 को खुली लोक अदालत कैम्प कोर्ट टोकरवाड पर सुनाया गया।

2  
सहायक कलेक्टर  
(S. D. O.) गुलाबपुरा  
जिला-भीलवाड़ा

मोहन  
सुखदेव  
अनि उदा

